

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01.09.2026

कमांक ESTB-2/399/2026-MEDICAL EDUCATION SECTION: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित प्रावधान के तहत निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी को कॉलम नं. (6) दर्शाये गये संस्था में, नियुक्ति दिनांक से आगामी 02 वर्ष के लिये अथवा तदर्थ/नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिये संविदा प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त करता है :-

क्र.	नाम	पदनाम	आबंटित वर्ग	विभाग का नाम	संस्था
1	2	3	4	5	6
1	प्रदीप्ति सिंह पैट्रीक	प्राध्यापक	सामान्य	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय नवा रायपुर अटल नगर
2	डॉ. राधिका साहू	प्राध्यापक	सामान्य	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुरुद धमतरी
3	अंजना सैमुअल	प्राध्यापक	सामान्य	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया
4	अनिशा मिरे	प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Obstetrical & Gynaecology	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा
5	शिखा तिकी 1988-09-30	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीजापुर
6	शिखा तिकी 1991-09-29	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय नवा रायपुर अटल नगर
7	सारिका देवांगन	सह प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुरुद धमतरी
8	नीलम चतुर्वेदानी	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बैकुण्ठपुर

					कोरिया
9	कोधी दिल्लीवार	सह प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय नवा रायपुर अटल नगर
10	रूपा साहू	सह प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुरुद धमतरी
11	सुष्मिता मसीह	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा
12	हनुप्रभा	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय पुसौर-रायगढ़
13	रीता मरकाम	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीजापुर
14	कुंदन खल्को	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जांजगीर-चांपा
15	अंजना सैमुअल	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया
16	रूपा मनकर	सह प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बलरामपुर
17	भावना वर्मा	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय पुसौर-रायगढ़
18	आरती	सह प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जशपुर
19	रागिनी जेमा	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया
20	शिखा तिर्की 1988-09-30	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय पुसौर-रायगढ़
21	सरिता पैकरा	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बलरामपुर
22	रूबी लहरी	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय नवा रायपुर अटल नगर
23	दीक्षा बंजारे	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुरुद

					धमतरी
24	मोनिका	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Child Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जशपुर
25	शैली वालसा तिर्की	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुरुद धमतरी
26	रीता साहू	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय पुसौर-रायगढ़
27	जया सोने	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जांजगीर-चांपा
28	रीना ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय नवा रायपुर अटल नगर
29	हनुप्रभा	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा
30	मनीषा केरकेट्टा	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Community Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीजापुर
31	भारती सिंह	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया
32	फिबिना चिलाटे	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जशपुर
33	अर्चना खर्सन	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जांजगीर-चांपा
34	एलीन रोज लकड़ा	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा
35	निर्मला एक्का	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बलरामपुर
36	गुंजा यादव	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Medical Surgical Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीजापुर
37	संवेदना	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दंतेवाड़ा
38	मीना चंद्राकर	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बीजापुर
39	डॉ. विभा बनश्रीयर	सहायक प्राध्यापक	सामान्य	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय नवा

					रायपुर अटल नगर
40	पुष्पा कौशिक	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुरुद धमतरी
41	चांदनी मिरी	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय पुसौर-रायगढ़
42	रोली टोप्पो	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जनजाति	Mental Health Nursing	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जांजगीर-चांपा
43	डॉ. गीतांजली मानिक	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Obstetrical & Gynaecology	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बलरामपुर
44	अन्नपूर्णा साहू	सहायक प्राध्यापक	अन्य पिछड़ा वर्ग	Obstetrical & Gynaecology	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जशपुर
45	प्रतिमा	सहायक प्राध्यापक	अनुसूचित जाति	Obstetrical & Gynaecology	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया

2/-संविदा सेवा की शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. - संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
2. - अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता नियमानुसार होगी।
3. - सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
4. - संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शास्ति होंगे।
5. - नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. - संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

7. - संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
 8. - संविदा नियुक्त कर्मचारी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया।
 9. - संविदा नियुक्ति उल्लेखित संस्था के लिए की गई है। संविदा अवधि बढ़ाई जाने की स्थिति में इस पदस्थापना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
 10. - संविदा नियुक्ति कर्मचारी को संविदा की संपूर्ण अवधि में पदस्थापना के मुख्यालय पर निवास करना अनिवार्य है अन्यथा कंडिका-5 अनुसार एक माह की सूचना देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जायेगी।
 11. - संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा और शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करना होगा।
 12. - संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
 13. - उम्मीदवारों को जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड से अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेस) उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 14. - यह संविदा नवीनीकरण संविदा नियम 2012 के शर्तों के अनुसार शासित होगी।
 15. - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
 16. - उक्त नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. प्रकरण क्रमांक 19668/2022 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 के अधधीन होगी।
- 3/— उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर, आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
- 4/— यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक **ESTB-2/399/2026-ME:** नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01.09.2026

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।
5. जिला कोषालय बलरामपुर, बैकुण्ठपुर कोरिया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कुरुद-धमतरी, नवा रायपुर अटल नगर, पुसौर-रायगढ़, अधिकारी छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
6. आदेश फोल्डर।